

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): उज्जैन P.S. (थाना): चिमन गंज मंडी Year (वर्ष): 2016  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0900 System Date and Time (सिस्टम दिनांक और समय): 04/08/2016  
Original Date and Time (वास्तविक दिनांक और समय): 04/08/2016 18:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	म. प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956	292 (1) (ग)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 12/01/2016 Date To (दिनांक तक): 17/07/2016  
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/08/2016 Time (समय): 18:08 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 043 Time (समय): 18:08 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Oral

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 04 किमी  
Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): सर्वे क्र 2/1/1 मीन 1 करबा, ग्राम पंवासा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):  
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): गणपत जाटवा  
(b) Father's Name (पिता का नाम): पूनमचन्द्र जाटवा  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1964  
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत  
(e) UID No. (यूआईडी सं.):  
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):  
Date of Issue (जारी करने की तिथि):  
Place of Issue (जारी करने का स्थान):  
(g) Occupation (व्यवसाय):  
(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	जीवाजीगंज के सामने, उज्जैन, जीवाजीगंज, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	भत्य नगर निगम, उज्जैन, चिमन गंज मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Phone number (दूरभाष)

Mobile (मोबाइल) 91-9165712485

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अश्विन कासलीवाल	कासलीवाल		1. उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत
2	बबलु जैन	जैन		1. उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत
3	अन्तीम जैन	जैन		1. उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-)
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

**12 First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं नगर निगम उज्जैन में भ्रष्टाचार के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 17.07.16 को नगर निगम कार्यालय उज्जैन से आयुक्त महोदय नगर निगम उज्जैन का पत्र क्र 553/16 दिनांक 14.07.16 का अवैध कालोनी काटने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने बाबत मुझे थाना पेश करने हेतु दिया गया था। जो पत्र मय पत्राचार के थाना पर प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र के पालन में अपर कलेक्टर कार्यालय उज्जैन से मुल प्रकरण क्र 02/बी/121/1516 से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज आवेदक भूपेन्द्र दलाल का शिकायत पत्र, कथन खाता खसरा की प्रमाणीत प्रतिलिपी पास की गयी। आयुक्त नगर निगम उज्जैन के पत्र मजमुन से धारा म.प्र. नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) का पाया जाने से अपराध कायम कर अनुसंधान में लिया गया। नकल आवेदन पत्र निम्नानुसार है। कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन म.प्र. क्रमांक 553/उज्जैन दिनांक 14.07.16 प्रति, थाना प्रभारी थाना चिमनगंजमडी उज्जैन विषय अवैध कालोनी काटने वाले के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने बाबत। संदर्भ कलेक्टर जिला उज्जैन का पत्र क्रमांक 289/अक/रीडर11/2016 उज्जैन दिनांक 05.07.16 विषयांकित क्रम में लेख है कि श्री भूपेन्द्र दलाल संपादक साप्ताहिक अटम्य जिला उज्जैन के व्दारा की गई शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के व्दारा प्रकरण क्रमांक 02/बी 121/201516 में पंजीबद्ध किया जाकर ग्राम पंचासा की भूमि सर्व क्रमांक 2/1/1 मीन 1 रकबा 0.200 हेक्टर तथा शासकीय भूमि सर्व क्रमांक 1 रकबा 2.289 हेक्टर 2/1/1 मीन 2 रकबा 0.974 हेक्टर 2/1/31.254 हेक्टर भूमि पर बिना अनुमती के कालोनी निर्माण के संबन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच की जाकर दिनांक 04.07.16 को प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अतः जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के व्दारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवैध कालोनी काटने वाले व्यक्तियों श्री अश्विन कासलीवाल, बबलू जैन एवं अन्तिम जैन के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबन्धन तथा शर्त) नियम 1998 तथा म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के व्दारा प्रकरण क्रमांक 02/बी 121/2016 में दिनांक 04.07.2016 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, श्री भूपेन्द्र दलाल के व्दारा दिनांक 12.01.2016 को कलेक्टर महोदय को की गई शिकायत एवं कलेक्टर कार्यालय जिला उज्जैन का पत्र क्रमांक 289/अ.क्र/रीडर11/2016 उज्जैन दिनांक 05.07.16 की प्रति पत्र के सलग प्रेषित कर लेख है कि संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबन्धन तथा शर्त) नियम 1998 तथा म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे। सलग उपरोक्तानुसार एसडी अग्रेती में आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन प्रतिलिपी क्रमांक 1 कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ 2 पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एसडी आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन नोट अनुसंधानकर्ता अधिकारी सउनि भूपेन्द्र सिंह चौहान हैं परंतु सी.सी.टी.एन. एस.में आई.डी. नहीं बनने से प्र.आर.लेखक 701 नारायण पुरी का नाम अनुसंधानकर्ता अधि.में दर्ज किया जाता है।

13 Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है।) or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): NARAYAN PURI

Rank (पद): HC (Head Constable)

No. (सं.): 1

to take up the investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया)

(4) Transferred to P.S. (थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्रथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक को पी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature / thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की तिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAJENDRA JADHAV

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 1



कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन, म.प्र.  
(कालोनी सेल)

क्रमांक : 231  
प्रति,

उज्जैन, दिनांक: 22-2-2020

परियोजना अधिकारी,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
उज्जैन

विषय: अवैध कालोनी काटने वाले ठगों के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने के संबंध में।  
संदर्भ: श्री भुपेन्द्र दलाल, प्रकाशक, साप्ताहिक अदम्य की शिकायत के क्रम में आपका पत्र  
क्रमांक 79/ननिउ/शिका/2019 दिनांक 11.02.2020

विषयांकित क्रम में संदर्भित आपके पत्र के संलग्न श्री भुपेन्द्र दलाल, प्रकाशक, साप्ताहिक अदम्य के द्वारा प्रस्तुत शिकायत से ग्राम पंवासा की सर्वे क्रमांक 1, 2/1/1 मीन-2, 2/1/3 पर अवैध कालोनी काटने के लिए अश्विन कासलीवाल, बबलू जैन और अंतिम जैन के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

उक्त प्राप्त शिकायत के क्रम में लेख है कि शिकायतकर्ता श्री भुपेन्द्र दलाल, सम्पादक साप्ताहिक अदम्य के आवेदन दिनांक 12.01.2016 के क्रम में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/बी-121/2015-16 में पारित जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.07.2016 के अनुसार नगर निगम उज्जैन के द्वारा ग्राम पंवासा की सर्वे क्रमांक 1, 2/1/1 मीन-2, 2/1/3 पर खुशी नगर नामक अवैध कालोनी काटने के लिए अश्विन कासलीवाल, बबलू जैन और अंतिम जैन के विरुद्ध थाना चिमनगंज मण्डी उज्जैन में एफ.आई.आर. क्रमांक 0900 दिनांक 04.08.2016 से दर्ज कराई गई है। जिसकी छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

प्राप्त शिकायत के क्रम में निगम स्तर से कोई कार्यवाही शेष नहीं है।  
संलग्न- एफआईआर की छाया प्रति।

कार्यपालन यंत्री  
(कालोनी सेल)  
नगर पालिक निगम उज्जैन  
उज्जैन, दिनांक

प्रतिलिपि क्रमांक :

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर टी.एल. श्रेणी के क्रम में सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन यंत्री  
(कालोनी सेल)  
नगर पालिक निगम उज्जैन